UPMT010054002026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2358/2026
बलराम उर्फ रोकेट प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 599/2025, धारा 115(2),351(3),352,109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोसीकलाँ, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **बलराम उर्फ रोकेट** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा लवकुश पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस केस में रंजिशन झूठा फँसाया गया है, उसके विरूद्ध कोई कथित अपराध नहीं बनता है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है और न ही खारिज हुआ है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा योगेश के छोटे भाई चिन्नू व पिता सुन्दर शर्मा को गालीगलौज करना, विरोध करने पर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना आदि आक्षेपित है। केस डायरी में चुटैल चीनू उर्फ योगेश का उपचार करने वाले चिकित्सक डॉ० विकास मिश्रा का बयान अंकित किया गया है, जिसने अपने बयान में इस आशय के कथन किए हैं कि सी०टी०स्कैन रिपोर्ट के अनुसार चुटैल की चोट गम्भीर प्रकृति की थी, जो चुटैल के जीवन के लिए प्राणघातक थी। बाद विवेचना इस प्रकरण में आरोपपत्र आ चुका है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– अभियुक्त पक्ष की ओर प्रत्युत्तर में मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि वादी द्वारा कोई स्पेसिफिक रोल आवेदक/अभियुक्त का घटना करने का नहीं बताया गया है और न ही आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गई है। कथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी भी नहीं है। सह–अभियुक्तगण गौरव उर्फ गौरी व टिंकू उर्फ मोहनश्याम की जमानत स्वीकार हो चुकी है।

6– तर्क के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सह–अभियुक्तगण गौरव उर्फ गौरी व टिंकू उर्फ मोहनश्याम की जमानत स्वीकार होने के तथ्य से इंकार नहीं किया गया है।

चुटैल चीनू उर्फ योगेश की कथित चोटें किस सीमा तक गम्भीर व प्राणघातक प्रकृति की थीं, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त किसी पूर्व प्रकरण में दोषसिद्ध हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए का

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.01 17:21:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त **बलराम उर्फ रोकेट** समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डराएगा और न धमकाएगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–01.07.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी,
निजी सहायक